

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2017—श्रावण 27, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र. ई-1-195-2017-5-एक.—श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर, जिला श्योपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त सागर संभाग, सागर को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4861

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-878-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री श्रीकांत बनोठ, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 28 जून से 14 जुलाई 2017 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीकांत बनोठ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री श्रीकांत बनोठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीकांत बनोठ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-914-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहित बुन्दस, आयएएस., अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 29 मई से 9 जून 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योन्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री मोहित बुन्दस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहित बुन्दस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस., उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 जून 2017 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योन्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. ई-1-242-2017-5-एक.—श्री श्रीकांत बनोठ, भाप्रसे (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट

फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिमेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम के अतिरिक्त प्रभार एवं श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल के अतिरिक्त प्रभार मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस., अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिनांक 17 जुलाई से 31 अगस्त 2017 तक, छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. ई.-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 3 से 7 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. ई-5-480-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 8 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 31 जुलाई 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 से 31 जुलाई 2017 तक, आठ दिन संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्:

क्र. ई.-5-963-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री रजनी सिंह, आयएएस., उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 8 से 26 अगस्त 2017 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रजनी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रजनी, सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्र. ई-1-245-2017-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012), संचालक, प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण केवल अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-247-2017-5-एक.—श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे (2011) अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण को भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11 से 21 सितम्बर 2017 तक की अवधि में शार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि यूएसए में आयोजित है के अनुक्रम में दिनांक 22 से 26 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 11 से 22 जुलाई 2017 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश काल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-997-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष वशिष्ठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष वशिष्ठ, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-985-आयएएस-लीब-5-एक.—सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस., तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, मैहर, जिला सतना [वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़] को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

क्र. ई-5-1036-आयएएस-लीब-5-एक.—श्रीमती सलोनी सिडाना, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. ई.-1-248-2017-5-एक.—डॉ. मधु खरे, भा.प्र.से. (1997) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण को दिनांक 21 अगस्त से 29 सितम्बर 2017 तक, चालीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अगस्त 2017 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 1, 2 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, लोक शिक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. ई-1-256-2017-5-एक.—श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 12 से 25 जुलाई 2017 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-261-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ). (अति. प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ).	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. ई-1-259-2017-5-एक.—श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2002), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग और प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे (2000), आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, गवालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-260-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री नारेन्द्र प्रसाद मिश्रा, (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.
2	श्री अमर सिंह बघेल (2005), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), शहडोल संभाग, शहडोल.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री बी. आर. नायडू (1986), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
3	श्री आशीष उपाध्याय (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम.	—
4	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ^{इंटरसिटी ट्रान्सपोर्ट} अथोरिटी.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी.	—
5	श्री अश्विनी कुमार राय (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग.	—
6	श्री अजीत केसरी (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	—
7	श्री अशोक शाह (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान.	—
8	श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	—
9	श्रीमती नीलम शमी राव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	—
(2) श्री व्ही. एल. कान्ताराव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश का प्रभार भी सौंपा जाता है।			
(3) श्री अरुण कुमार पाण्डे, भाप्रसे (1992), राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है।			
(4) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. एल. कान्ताराव एवं श्री अरुण कुमार पाण्डे द्वारा क्रमशः आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगी। अब श्रीमती दीपाली रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के पद पर मानी जावेगी।			

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 27 जुलाई से 8 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 अगस्त से 26 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का पुनरीक्षित/संशोधित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 28 अगस्त से 5 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन स्थानापन आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. ई.-1-261-2017-5-एक.—श्री व्ही. एल. कान्ताराव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. एल. कान्ताराव द्वारा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम केवल प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के कार्यभार से मुक्त होंगी।

क्र. ई.-5-1051-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री उमेश कुमार, आयएएस., संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को दिनांक 7 से 27 नवम्बर 2017 तक इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. ई.-5-968-आयएएस-लीब-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. एक 1(ए)42-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (प.क्षै.) इन्दौर को दिनांक 1 से 31 अगस्त 2017 तक इकतीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री शशीन्द्र सिंह चौहान, रापुसे, समानि. विसबल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (प.क्षै.) इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)93-99-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 12 जून से 11 जुलाई 2017 तक तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)188-91-ब-2-दो.—श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)29-2013-ब-दो.—राज्य शासन श्री रियाज इकबाल, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, पन्ना को दिनांक 9 से 23 अगस्त 2017 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ल्याक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर कोल्लम (केरला) जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., का कार्य श्री आर. डी. प्रजापति, रापुसे. अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे., द्वारा पुलिस अधीक्षक, पन्ना के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)191-91-ब-2-दो-संशोधन.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2017 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए श्री अशोक अवस्थी, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जून से 9 जुलाई 2017 तक अट्टाईस दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)151-95-ब-2-दो.—श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 17 से 29 जुलाई 2017 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15-16 एवं 30 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस

महानिदेशक (एस.टी.एफ.), मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनंत कुमार सिंह, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनंत कुमार सिंह, भाषुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार/को-आपरेटिव फ्रांड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 24 मई से 3 जून 2017 तक ग्यारह दिवस लघुकृत अवकाश

दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 22 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भाषुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भाषुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इकीस-ब(एक)-3063-17.—राष्ट्रीय अवेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 26, 42 एवं 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
“16.	होशंगाबाद	श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद।
26.	पन्ना	श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना।
42.	उज्जैन	श्री आलोक कुमार मिश्र, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन।
47.	अशोकनगर	श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर।”।

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(1)3063-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 16, 26, 42 and 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name & Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
“16.	Hoshangabad	Shri Upendra Sonkar, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.
26.	Panna	Shri Amitabh Mishra, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna.
42.	Ujjain	Shri Alok Kumar Mishra, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.
47.	Ashoknagar	Shri Virendra Patidar, Sessions Judge, Ashoknagar.”

This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-3060-2017.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34, 35, 61, 67 और 68 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“34.	श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	श्री मयंक कुमार शुक्ला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
61.	श्रीमती अनिता खजुरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक के अतिरिक्त ¹ न्यायाधीश.	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
67.	श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
68.	श्री सीता शरण यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-3060-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 34, 35, 61, 67 and 68 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"34.	Shri Pradeep Soni, 1st Additional Judge to 1st Civil Judge Class-II.	Harda	Harda	Harda	Harda
35.	Shri Mayank Kumar Shukla, IIInd Civil Judge Class-II.	Hoshangbad	Hoshangbad	Hoshangbad	Hoshangbad
61.	Smt. Anita Khajuriya, Additional Judge to 1st Civil Judge Class-I.	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
67.	Smt. Shubhangi Palo Dutt. IIInd Civil Judge Class-II.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
68.	Shri Seeta Sharan Yadav, IIIrd Civil Judge Class-II	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

फा. क्र. 3296-2017-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 21 जून 2017 तथा फुलकोर्ट (बाय सरक्यूलेशन) दिनांक 23 जून 2017 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उप नियम (VII) के अन्तर्गत दीर्घशास्त्र अधिरोपित करते हुए, एतद्वारा, राज्य शासन, श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सर्वसेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

फा. क्र. 1(सी)-3447-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-2977-98, दिनांक 21 नवम्बर 1998) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 5 सितम्बर 1967 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता, शाजापुर को ऐसे विशेष लोक अभियोदक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फाईल क्र. 3203-इक्कीस-ब(दो).—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821/21-ब(दो), दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल, नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए।

फाईल क्र. 3203-इक्कीस-ब(दो).—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री भरतलाल अग्रवाल, नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

**पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. एफ 6-24-2008-चौबन-2.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग में अपने आदेश क्रमांक 1269-1956-2017-38-1, दिनांक 3 जुलाई 2017 के द्वारा डॉ. युनुस खान, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है।

राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. युनुस खान, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र, सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल की सेवाएं

प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को आगामी आदेश तक सौंपी जाकर उनको मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा श्री एस. के. फारूकी, अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल की सेवाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल से वापस लेते हुए उनके विभाग को वापिस की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव।

पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2017

क्र. 2442-2117-2017-अठारह-5.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का. स. 6) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 26 में प्रावधान था :

1. अध्यक्ष पूर्ण शक्तियाँ
2. सदस्य सचिव रुपये 5.00 लाख तक
3. प्रशासन शाखा के प्रभारी रुपये 1.00 लाख तक:

परन्तु अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति की दशा में चैक पर हस्ताक्षर करने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन सदस्य सचिव को करेगा। सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी जो अधीक्षण यंत्री या उससे निम्नतर न होगा, को प्रत्यायोजित कर सकेगा।"

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

सूचना

क्र. एफ-3-18-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-

संशोधन

उक्त के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

“किसी भी बैंक में खाता खोलने/चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाइन राशि हस्तांतरित करने/ऑन लाइन आरटीजीएस (RTGS)/कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु शक्तियाँ :

क्र. प्राधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी	अधिकृतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1 अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	
2 सदस्य सचिव	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ। अन्य व्यय हेतु रुपये 10 लाख तक (रुपये दस लाख तक).	
3 डायरेक्टर (पर्यावरण)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी।	रुपये 5 लाख तक (रुपये पांच लाख तक).	
4 क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख।	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ अन्य व्यय हेतु रुपये 5 लाख तक (रुपये पांच लाख तक).	

(2) चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाइन राशि हस्तांतरित करने/ऑन लाइन आरटीजीएस(RTGS)/कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन संबंधी अपनी शक्तियाँ अध्यक्ष, सदस्य सचिव अथवा अन्य बोर्ड के अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकेंगे।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव।

18-2017-अठारह-5, दिनांक 3 मार्च 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्र	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम-चांदपुर	77/1	90.890 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर.	कृषि	औद्योगिक
		77/356/2	3.2 हैक्टेयर	कृषि	औद्योगिक
		योग .	11.20 हैक्टेयर		

(1) शहर की आरामिलों के विस्थापन हेतु औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

सूचना

क्र. एफ-3-33-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा चाकघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, चाकघाट, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-3-33-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-33-2012-बत्तीस, दिनांक 5 अगस्त 2017 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 5th August 2017

NOTICE

No. F-3-33-2012-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has apporved the Development Plan for, Chakghat, 2021 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District Rewa, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Rewa, Madhya Pradesh.
- (3) C.M.O., Municipal Council, Chakghat Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-7-2017-सात-शा-6-886.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गाँवों के लिये उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए :—

अनुसूची

तहसील: श्योपुर

क्र.

पटवारी हलका क्रमांक सहित गाँवों के नाम

(1)

(2)

1

1. मूल ग्राम बर्धाबुजुर्ग
 2. नवीन ग्राम प्रताप नगर
- प.ह.नं. 33.

जिला : श्योपुर

अधिकार—अभिलेख तैयार करने के लिए
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(3)

अधीक्षक, भू—अभिलेख,
(नियमित) जिला—श्योपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-7-2017-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-7-2017-सात-शा-6, दिनांक 5 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 5th August 2017

No. F-15-07-2017-VII-Sec.-6-886.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tehsil : Sheopur

District : Sheopur

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(1)	(2)	
1	1. Original Village-Bardha bujurg 2. New Village-Pratapnagar P.C. No. 33	Superintendent of Land Records (regular) District-Sheopur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. 401-सामान्य-एक-2017-01.—जिला आगर-मालवा में पूर्व वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आगर बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी दिनांक 31 जुलाई 2017 को निकाली जाना है। जो जिले का महत्वपूर्ण पर्व है। जिला आगर-मालवा में शाही सवारी के विशेष आयोजन हेतु मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा दिनांक 31 जुलाई 2017 को संपूर्ण जिला आगर-मालवा हेतु स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	नाम त्यौहार	दिनांक	वार	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बाबा बैजनाथ की शाही सवारी	31-7-2017	सोमवार	सम्पूर्ण जिला

अजय गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. संघ. ति.-विप.2017-2309.—कार्यालयीन आदेश क्र.-प्र.ते.विप.-2016-3005, दिनांक 2 नवम्बर 2016 द्वारा श्री एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र.-एफ-1-5-2016-पन्द्रह-2, दिनांक 16 जुलाई 2017 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के स्थान पर श्री आर. आर. सिंह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। उक्त आदेश आज दिनांक 2 अगस्त 2017 को मेरे नाम एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

आशुतोष अवस्थी, पंजीयक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 2 अगस्त 2017

क्रमांक 15951

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है।

प्रकरण क्रमांक /-82/2016-2017 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रघुनाथगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची(2) में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्गस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (के 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची(1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :- ग्राम रघुनाथगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(1)	(2)	(3)
1	रघुनाथगढ़	5.821
कुलयोग :-		5.821

-: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :- ग्राम रघुनाथगढ़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
11	2:	3:	4)	(5)
1	पन्नालाल पिता तुलाराम जाति भोई	32/2	4.300	1.720
2	दयाराम प्रेम भगवानसिंह पिता धूलजी तुलसीबाई सरदारबाई लक्ष्मीबाई कबूबाई गंगाबाई पिता धूलजी निवासी प्रतापगंज	32/5	3.667	1.237
3	नारायण पिता छोटेलाल बिहारीलाल पिता शिवनारायण जाति भोई	33	0.253	0.215
4	शिवनारायण पिता तुलाराम जाति भोई	32/3/1	2.099	1.460
5	मधु पति सुरेन्द्र सक्सेना जाति धाकड निवासी राजगढ़	32/3/2	1.189	1.189
	कुल योग :-		11.508	5.821

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुदिप्तांगी अधिकारी, एवं ग्रामीण शासिकांगी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15953/भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मदापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(1)	(2)	(3)
1	मदापुरा	15.202
	कुलयोग :-	15.202

—: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम मदापुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	15/1/1	0.040	0.040
2	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/3	0.097	0.097
3	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/2	0.103	0.023
4	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	15/1/2	0.137	0.137
5	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	34/1/3	0.025	0.025
6	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	35/1/1	0.078	0.050
7	भवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/1	0.030	0.030
8	भवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	17/1	0.107	0.107
9	भवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/4	0.026	0.026
10	भवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	35/1/2	0.078	0.050
11	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/2	0.137	0.137
12	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/1	0.103	0.022

13	रघुवीरसिंह बनेसिंह धरनाथसिंह पिता इन्दरसिंह मनोहरकुवर भवरकुवर पिता इन्दरसिंह अतंरकुवर बेवा इन्दरसिंह जाति राजपूत	44/2/1	0.139	0.139
14	सालकुंवर बेवा सुरजसिंह जाति राजपूत	43/1	0.455	0.455
15	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	21/1/1	0.069	0.069
16	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	23/1	0.240	0.204
17	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	24/1	0.335	0.335
18	पूरजी पिता गोपीलाल जाति तंवर	18/1	0.759	0.759
19	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	18/2	0.152	0.152
20	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	19	0.013	0.013
21	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	21/2	0.152	0.152
22	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	22/2	0.354	0.354
23	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	27	0.190	0.190
24	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	28	0.139	0.139
25	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	112/1	0.265	0.265
26	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	37/1	0.273	0.273
27	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	36/2	0.472	0.472
28	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	29/2	0.127	0.127
29	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	30/2	0.098	0.098
30	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	36/1	0.236	0.236
31	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	29/1	0.063	0.063
32	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	30/1	0.016	0.016
33	रघुनाथ रमेश पिता कनिराम रेशमबाई पुत्री कनिराम जाति तंवर	41	0.810	0.557
34	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवलाल सुरज धापूबाई कमलाबाई पिता बालाबक्ष जाति नाई निवासी राजगढ़	42	0.911	0.911
35	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई	40	0.885	0.885

36	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई	45	0.531	0.531
37	धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर	46	1.063	0.810
38	धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर	47	0.468	0.348
39	मांगीलाल पिता नन्दा जाति तंवर	50	0.696	0.230
40	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	26/1	0.152	0.152
41	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	38/1	0.050	0.050
42	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	49/4	0.133	0.040
43	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/4	0.549	0.367
44	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल हि. 17 पैसा कालू कन्हैयालाल राधीबाई पिता गोरखन सम्पतबाई बेवा गोरखन हि. 83 पैसा जाति तंवर	114/1	0.586	0.057
45	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/1	0.073	0.015
46	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/3	0.147	0.147
47	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/2	0.107	0.054
48	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/2	0.074	0.015
49	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/2	0.148	0.148
50	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/3	0.108	0.054
51	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/3	0.074	0.014
52	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/1	0.148	0.148
53	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/1	0.108	0.055
54	बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	37/3	0.201	0.201
55	बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/6	0.513	0.367
56	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	37/2	0.108	0.108
57	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	38/2	0.093	0.093
58	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/5	0.512	0.340

59	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल	39/2	0.147	0.147
60	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल	55/3	0.078	0.034
61	कन्हैयालाल पिता गोरथन राधीबाई पति गोरथन	39/3	0.148	0.148
62	बालू पिता गोरथन राधीबाई पति गोरथन	39/4	0.147	0.147
63	हरिसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर	112/2	0.669	0.367
64	करणसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर	112/3	0.668	0.367
65	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी	38/3	0.553	0.553
66	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर	26/2	0.050	0.050
67	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर	112/7	0.846	0.135
68	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	15/2	0.177	0.012
69	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	16/2	0.263	0.111
70	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	17/2	0.108	0.078
71	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	35/2	0.156	0.065
72	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	43/2	0.127	0.127
73	गुलाबसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	44/1	0.329	0.329
74	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	21/1/2	0.070	0.070
75	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	22/1/2	0.069	0.069
76	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	24/2	0.335	0.125
77	कमलसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	44/2/2	0.316	0.316
कुल योग :-			20.012	15.202

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 5 अगस्त 2017

क्रमांक 16072/भू-अर्जन/2016 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कालीतलाई के द्वूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ग्राम कालीतलाई की द्वूब क्षेत्र के लिए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव।

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
1	कालीतलाई	14.726
	कुलयोग :-	14.726

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित द्वूब क्षेत्र के लिए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव :— ग्राम कालीतलाई

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हे.में)
'1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	द्रोपतीबाई बेवा राजेन्द्र जाति अनुसूचित जाति	3/1 /	0.987 /	0.877
2	रमेश पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/1 /	0.925 /	0.275
3	गोपाल पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/3 /	0.925 /	0.500
4	दुर्गाप्रसाद पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/4 /	0.925 /	0.600
5	हिन्दुसिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या नि. रोज्या	4/2 /	4.073 /	4.073
6	बद्रीलाल, अमृत, रामबाबू पिता किशन जाति दांगी	4/3/1 /	0.380 /	0.380
7	मोतीलाल पिता पन्नालाल जाति दांगी	4/3/2 /	0.379 /	0.379
8	देवसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	4/4 -	1.518 /	1.518

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा (ह.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	कांताप्रसाद पिता सांवरलाल जाति ब्राह्मण	4/5 /	1.998 /	1.960
10	मांगीलाल पिता छीतर जाति लोड़ा	5 /	0.835 /	0.705
11	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा	6 /	1.088 /	1.088
12	नाराण पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/1 /	0.294 /	0.245
13	रामचन्द्र पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/2 /	0.294 /	0.230
14	रामरतन पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/3 /	0.294 /	0.210
15	नानूराम पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/4 /	0.294 /	0.210
16	घीसा पिता गंगाराम जाति लोड़ा	7/2 /	1.176 /	0.076
17	मदन पिता रुगनाथ जाति दांगी	13/1 /	0.203 /	0.203
		14/2 /	0.259 /	0.045
		14/3 /	0.259 /	0.045
		15/1/2 /	0.316 /	0.030
		15/2 /	0.759 /	0.150
18	अमृत, जगदीश पिता मोहनलाल जाति दांगी	13/2 /	0.202 /	0.102
		14/1 /	0.260 /	0.045
		14/4 /	0.259 /	0.160
		15/1/1 /	0.316 /	0.015
19	बबलू पिता रामचरण, गीताबाई बेवा रामचरण जाति गुर्जर	39/3 /	0.354 /	0.180
		41/3 /	1.472 /	0.045
20	गप्पूलाल पिता प्रभूलाल जति गुर्जर	39/4 /	0.354 /	0.080
		41/4 /	1.469 /	0.300
योग :-			22.867	14.726

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 1 मई 2017

प्रकरण क्रमांक/१४८/ए-८२/१६-१७/

:: प्रारम्भिक अधिसूचना ::

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्व क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (1) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - करनगढ़

तहसील - पेटलावद

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि करनगढ़ मार्ईनर नहर	0.60	0.21	0.81

अनुसूची (2)

अनुसूची	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	460		0.08	0.08		0.08	0.08
2	ओदरिया, जीवणा पिता हमिरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	502	0.67		0.67	0.13		0.13
3	मँगती पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	469	0.16		0.16	0.04		0.04
4	देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/2		0.03	0.03		0.03	0.03
		471/2		0.04	0.04		0.04	0.04
5	थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/1	0.03		0.03	0.03		0.03
		471/1	0.05		0.05	0.05		0.05
6	भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ़	470/3	0.04		0.04	0.03		0.03
		471/3	0.04		0.04	0.04		0.04

अनुक्रम	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिवित	असिवित	कुल	सिवित	असिवित	कुल
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
7	गैवरबाई पिता गल्या गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी करनगढ़	461	0.03		0.03	0.03		0.03
		462	0.02		0.02	0.02		0.02
		464		0.12	0.12		0.03	0.03
		467	0.25		0.25	0.03		0.03
8	सोमली पति विरजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी करनगढ़	463	0.11		0.11	0.09		0.09
		465	0.10		0.10	0.03		0.03
		466		0.12	0.12		0.03	0.03
9	धरमा बेधा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी करनगढ़	329	0.06		0.06	0.05		0.05
10	राजु पिता मुन्जा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी करनगढ़	472/1	0.06		0.06	0.03		0.03
	योग :-		1.62	0.39	2.01	0.60	0.21	0.81-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" अंतर्गत)

क्रमांक/२०१५ /भू-अर्जन/17

देवास, दिनांक १७/०७/२०१७

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निवासी ग्राम भूमि के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु हाटपिल्ला से कमलापुर के मध्य गोला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- गोला
2. तहसील :- हाटपीपल्ला
3. जिला :- देवास
4. कुल प्रस्ताव :- 01

क्रमांक	नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण (हे. में)
01	02	03	04
1	श्री तखतसिंह पिता भागीरथसिंह ग्राम गोला	235	0.140

कुल सर्व नंबर— 01 कुल प्रस्ताव — 01

उपरोक्त कृषकों की भूमि हाटपिल्ला से कमलापुर के मध्य गोला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम गोला की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपकम के पक्ष में कय किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियां के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2017

प्र. क्र. 110-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—मेनहा, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1060	0.130	निजी भूमि
1053	0.350	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	0.480	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 01 अगस्त 2017

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पन्ना
- (ग) ग्राम—तिलगवा, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.495 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1121/1/ख	0.760	निजी भूमि
1095/2/ग/1	0.030	निजी भूमि
1095/2/ग/2	0.180	निजी भूमि
1095/2/ग/3	0.270	निजी भूमि
1095/2/ग/4	0.300	निजी भूमि
1095/2/ग/5	0.360	निजी भूमि
1095/2/ग/6	0.340	निजी भूमि
1095/2/ग/7	0.260	निजी भूमि
1121/1/क/1	0.390	निजी भूमि
1136/1	0.450	निजी भूमि
1136/2	0.950	निजी भूमि
1136/3	0.180	निजी भूमि
1145/2	1.150	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1146	0.235	निजी भूमि	2781/2	0.230	निजी भूमि
1147	0.440	निजी भूमि	2781/3	0.230	निजी भूमि
1151/1	0.250	निजी भूमि	2783	0.010	निजी भूमि
1153/1	0.060	निजी भूमि	2784	0.040	निजी भूमि
1095/2/ख	0.110	निजी भूमि	2772	0.080	निजी भूमि
1121/2	0.780	निजी भूमि	2780	0.300	निजी भूमि
कुल रकबा ..	<u>7.495</u>		2773	0.180	निजी भूमि
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।				2774 0.030 निजी भूमि
(3)	(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।				2771 0.020 निजी भूमि
प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—					
	अनुसूची				
(1)	(1) भूमि का वर्णन—				
	(क) जिला—पन्ना				
	(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर				
	(ग) ग्राम—बड़गांव, प.ह.नं. 18				
	(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.680 हेक्टेयर निजी भूमि.				
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	भूमि का	1254	0.500	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	1308	0.360	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	1309	0.020	निजी भूमि
2781/1	0.230	निजी भूमि	729	0.160	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1310/1	0.050	निजी भूमि	607/1/1/1/1/1/	0.015	निजी भूमि
730/2971	0.030	निजी भूमि	1/2		
728	0.240	निजी भूमि	607/1/1/1/1/1/3	0.004	निजी भूमि
732	0.040	निजी भूमि	607/1/1/1/1/1/2	0.004	निजी भूमि
733	0.330	निजी भूमि	607/1/1/1/1/1/3	0.004	निजी भूमि
578/1	0.750	निजी भूमि	607/1/1/1/1/2	0.004	निजी भूमि
578/2	0.750	निजी भूमि	607/1/1/1/1/3	0.004	निजी भूमि
589	0.270	निजी भूमि	607/1/1/1/2	0.004	निजी भूमि
590	0.100	निजी भूमि	607/1/1/1/3	0.003	निजी भूमि
588/1	0.040	निजी भूमि	607/1/1/2	0.003	निजी भूमि
588/2	0.040	निजी भूमि	607/1/1/3	0.003	निजी भूमि
588/3	0.040	निजी भूमि	607/1/1/4	0.003	निजी भूमि
588/4	0.040	निजी भूमि	607/1/2	0.040	निजी भूमि
588/5	0.040	निजी भूमि	607/1/3	0.004	निजी भूमि
588/6	0.040	निजी भूमि	607/1/4	0.004	निजी भूमि
588/7	0.050	निजी भूमि	607/1/2	0.020	निजी भूमि
592/1	0.170	निजी भूमि	1310/2	0.03	निजी भूमि
617	0.190	निजी भूमि	1207	0.03	निजी भूमि
592/2	0.420	निजी भूमि	1307	0.01	निजी भूमि
593	0.180	निजी भूमि	2779	0.01	निजी भूमि
594	0.180	निजी भूमि			
595	0.300	निजी भूमि			
597/1	0.250	निजी भूमि			
597/2	0.010	निजी भूमि			
597/3	0.010	निजी भूमि			
597/4	0.010	निजी भूमि			
597/1/1/2	0.010	निजी भूमि			
597/1/2	0.010	निजी भूमि			
598/1	0.050	निजी भूमि			
598/2	0.100	निजी भूमि			
598/2942	0.200	निजी भूमि			
599/2	0.030	निजी भूमि			
600/1/1/1	0.050	निजी भूमि			
600/1/1/2	0.010	निजी भूमि			
600/1/2	0.010	निजी भूमि			
600/1/3	0.010	निजी भूमि			
600/2	0.040	निजी भूमि			
605	0.190	निजी भूमि			
606	0.550	निजी भूमि			
608	0.460	निजी भूमि			
607/1/1/1/1/1/	0.006	निजी भूमि			
1/1/1/1					
607/1/1/1/1/1/	0.004	निजी भूमि			
1/1/1/2					
607/1/1/1/1/1/1/	0.004	निजी भूमि			
1/2					

योग .. 12.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकार में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पन्ना
- (ग) ग्राम—जमुनहाई खुर्द, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
28/4	0.870	निजी भूमि
4/2	0.840	निजी भूमि
73/4/3	0.260	निजी भूमि
73/4/4	0.310	निजी भूमि
73/4/2	0.220	निजी भूमि
73/4/1	0.180	निजी भूमि
13	0.090	निजी भूमि
योग ..	<u>2.770</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2017

पत्र क्र. 1236-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—मेहरवानगंज-480
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.877 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
35	0.094
36	0.044
37	0.002
38	0.061
47	0.025
46	0.118
45	0.017
52	0.056
44	0.078
57	0.008
58	0.057
56	0.036
55	0.038
59	0.068
60	0.034
1	0.018
2	0.041
3	0.082
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..	<u>0.877</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि ..	<u>0.000</u>
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..	<u>0.000</u>
अ + ब का योग ..	<u>0.877</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1238-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—पोखडौरा-327
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.247 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकमा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि—

12	0.100
7	0.029
11	0.085
13	0.010
8	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि योग . . 0.225

ब. म. प्र. शासन की भूमि . .

5 0.008

15 0.014

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.022

अ +ब का योग . . 0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1240-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—खरहरी-106
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.891 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकमा

नंबर (हे. में) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि—

132 0.006

130 0.039

129 0.023

97 0.001

128 0.066

121 0.028

120 0.013

119 0.011

101 0.011

103 0.027

8 0.036

435/8 0.037

6 0.030

5 0.030

127 0.017

126 0.016

125 0.023

123 0.020

117 0.019

113 0.061

112 0.031

313 0.002

273 0.034

272 0.044

270 0.044

271 0.002

269 0.053

259 0.005

258 0.021

257 0.001

236 0.018

230 0.023

231 0.001

234 0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
233	0.002	198	0.061
अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>0.836</u>	199	0.032
ब. म. प्र. शासन की भूमि . .		79	0.066
131	0.033	80	0.047
3	0.011	100	0.003
221	0.011	99	0.022
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.055</u>	90	0.049
अ +ब का योग . .	<u>0.891</u>	91	0.066
		56	0.023
		55	0.006
		53	0.004
		54/ब	0.022
		47	0.028
		46	0.054
		45	0.035
		44	0.051
		43	0.02
		41	0.013
		40	0.001
		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.065</u>
		ब. म. प्र. शासन की भूमि . .	
		178	0.009
		57	0.022
		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.031</u>
		अ +ब का योग . .	<u>1.096</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—कैथा-75
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.096 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकम

नंबर (हे. में)

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि—

176	0.054
174	0.097
173	0.008
172	0.068
171	0.006
169	0.086
168	0.007
194	0.058
195	0.038
197	0.006

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1244-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—रीवा-503
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.269 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रक्खा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि—	
684	0.029
687	0.173
686	0.010
688	0.003
689	0.125
703	0.007
704	0.209
701	0.095
711	0.009
714	0.106
724	0.036
723	0.072
722	0.053
767	0.095
765	0.032
764	0.036
763	0.030
761	0.030
758	0.057
757	0.032
अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>1.239</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
440	0.030
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.030</u>
अ +ब का योग . .	<u>1.269</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन प्रवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1246-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगवां
 (ग) ग्राम—धोरहा-152
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.450 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रक्खा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
1	0.007
2	0.119
26	0.101
35/1/27	0.143
27	0.080
अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>0.450</u>

ब. म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ +ब का योग . .	<u>0.450</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन प्रवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1248-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—मझियार-450

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.425 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—मढ़ीकला-436

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.913 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)	खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि		अ. निजी पट्टे की भूमि	
177	0.047	20	0.041
176	0.066	19	0.113
175	0.005	18	0.024
180	0.011	12	0.045
181	0.020	869	0.037
182	0.021	73	0.092
185	0.050	74	0.079
183	0.035	113	0.014
184	0.025	112	0.014
197	0.030	111	0.032
196	0.008	109	0.042
198	0.017	107	0.019
195	0.002	105	0.026
199	0.088	102	0.017
अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>0.425</u>	103	0.002
ब. म. प्र. शासन की भूमि		97	0.029
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	96	0.027
अ +ब का योग . .	<u>0.425</u>	95	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन प्रवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2017

पत्र क्र. 1250-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)	खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>0.425</u>	अ. निजी पट्टे की भूमि योग . .	<u>0.861</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि		ब. म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.052</u>
अ +ब का योग . .	<u>0.425</u>	अ +ब का योग . .	<u>0.913</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन प्रवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1252-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—अधीका नं. 1, 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.852 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

22	0.272
9	0.004
23	0.025
19	0.167
25	0.019
18	0.086
17	0.144
16	0.002
29	0.107

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.826

ब. म. प्र. शासन की भूमि

21	0.011
24	0.003
20	0.012

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.026

अ + ब का योग . . 0.852

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2017

पत्र क्र. 433-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्के का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, रीवा अल्टा मेंगा सोलर परियोजना गुढ़, जिला रीवा का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रक्का) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) नगर/ग्राम—बदवार 416-105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —30.512 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
6212	0.016	ग्राम बदवार 416-105
6213	0.012	ग्राम बदवार 416-105
6215	0.364	ग्राम बदवार 416-105
6216	0.045	ग्राम बदवार 416-105
6217	0.259	ग्राम बदवार 416-105
6220	0.028	ग्राम बदवार 416-105
6221	0.336	ग्राम बदवार 416-105
6222	0.053	ग्राम बदवार 416-105
6223	0.012	ग्राम बदवार 416-105
6824	0.243	ग्राम बदवार 416-105
6361	0.265	ग्राम बदवार 416-105
6363	0.117	ग्राम बदवार 416-105
6828	0.283	ग्राम बदवार 416-105

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6185/2	0.045	ग्राम बदवार 416-105	6563/4	0.137	ग्राम बदवार 416-105
6925/1	0.809	ग्राम बदवार 416-105	6338	0.773	ग्राम बदवार 416-105
6825/2	0.243	ग्राम बदवार 416-105	6339	1.526	ग्राम बदवार 416-105
6830	0.352	ग्राम बदवार 416-105	6612/1	0.009	ग्राम बदवार 416-105
6831	0.295	ग्राम बदवार 416-105	6616/1	0.146	ग्राम बदवार 416-105
6977	0.032	ग्राम बदवार 416-105	6553/2	0.105	ग्राम बदवार 416-105
6982	0.170	ग्राम बदवार 416-105	6826/1क	0.122	ग्राम बदवार 416-105
6199	0.032	ग्राम बदवार 416-105	6826/1/ख	0.051	ग्राम बदवार 416-105
6486	0.028	ग्राम बदवार 416-105	6819/1	0.037	ग्राम बदवार 416-105
6487	0.676	ग्राम बदवार 416-105	6826/2	0.174	ग्राम बदवार 416-105
6489	0.227	ग्राम बदवार 416-105	6819/2	0.040	ग्राम बदवार 416-105
6496	0.372	ग्राम बदवार 416-105	6378	0.470	ग्राम बदवार 416-105
6690	0.055	ग्राम बदवार 416-105	6352	0.283	ग्राम बदवार 416-105
6691	0.037	ग्राम बदवार 416-105	6373	0.607	ग्राम बदवार 416-105
6692	0.142	ग्राम बदवार 416-105	6978	0.012	ग्राम बदवार 416-105
6694	0.371	ग्राम बदवार 416-105	6980	0.162	ग्राम बदवार 416-105
6695	0.103	ग्राम बदवार 416-105	6983	0.097	ग्राम बदवार 416-105
6689	0.239	ग्राम बदवार 416-105	6976	0.020	ग्राम बदवार 416-105
6693	0.041	ग्राम बदवार 416-105	6332/2	0.188	ग्राम बदवार 416-105
6478	0.393	ग्राम बदवार 416-105	6332/3	0.188	ग्राम बदवार 416-105
6479	0.578	ग्राम बदवार 416-105	6993	0.624	ग्राम बदवार 416-105
6480	0.049	ग्राम बदवार 416-105	6994	0.587	ग्राम बदवार 416-105
6482	0.085	ग्राम बदवार 416-105	6970	1.214	ग्राम बदवार 416-105
6483	0.045	ग्राम बदवार 416-105	6920	0.053	ग्राम बदवार 416-105
6484	0.028	ग्राम बदवार 416-105	6827	0.664	ग्राम बदवार 416-105
6628	0.032	ग्राम बदवार 416-105	6833	0.251	ग्राम बदवार 416-105
6629	0.878	ग्राम बदवार 416-105	6834	0.234	ग्राम बदवार 416-105
6341	0.405	ग्राम बदवार 416-105	6835	0.020	ग्राम बदवार 416-105
6350	0.809	ग्राम बदवार 416-105	6836	0.036	ग्राम बदवार 416-105
6153	0.388	ग्राम बदवार 416-105	6907	0.352	ग्राम बदवार 416-105
6154	0.045	ग्राम बदवार 416-105	6911	0.105	ग्राम बदवार 416-105
6950/3	0.298	ग्राम बदवार 416-105	6919	0.721	ग्राम बदवार 416-105
6842/1	0.176	ग्राम बदवार 416-105	6905	0.506	ग्राम बदवार 416-105
6950/4	0.306	ग्राम बदवार 416-105	6906	0.279	ग्राम बदवार 416-105
6842/2	0.087	ग्राम बदवार 416-105	6908	0.134	ग्राम बदवार 416-105
6843	0.081	ग्राम बदवार 416-105	6909	0.603	ग्राम बदवार 416-105
6950/1	0.21	ग्राम बदवार 416-105	6904	0.267	ग्राम बदवार 416-105
6841	0.162	ग्राम बदवार 416-105	6903	0.223	ग्राम बदवार 416-105
6546/5	0.41	ग्राम बदवार 416-105			

(1)	(2)	(3)
6847	0.227	ग्राम बदवार 416-105
6845	0.198	ग्राम बदवार 416-105
6846	0.146	ग्राम बदवार 416-105
6848	0.101	ग्राम बदवार 416-105
6910	0.105	ग्राम बदवार 416-105
6912	0.101	ग्राम बदवार 416-105
6913	0.012	ग्राम बदवार 416-105
6914	0.061	ग्राम बदवार 416-105
6915	0.040	ग्राम बदवार 416-105
6916	0.049	ग्राम बदवार 416-105
6917	0.474	ग्राम बदवार 416-105
6898	0.045	ग्राम बदवार 416-105
6897	0.219	ग्राम बदवार 416-105
6918	0.081	ग्राम बदवार 416-105
6638	0.214	ग्राम बदवार 416-105
6639	0.121	ग्राम बदवार 416-105
6640	0.275	ग्राम बदवार 416-105
6362	0.305	ग्राम बदवार 416-105
6981	0.081	ग्राम बदवार 416-105
6332/1	0.364	ग्राम बदवार 416-105
6985	0.162	ग्राम बदवार 416-105
6986	1.951	ग्राम बदवार 416-105
6987	0.020	ग्राम बदवार 416-105
6991	0.914	ग्राम बदवार 416-105
6988	0.012	ग्राम बदवार 416-105
6989	0.036	ग्राम बदवार 416-105
6242	0.024	ग्राम बदवार 416-105
6243	0.194	ग्राम बदवार 416-105
6147/2	0.032	ग्राम बदवार 416-105
6241	0.162	ग्राम बदवार 416-105
योग . .	<u>30.512</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा अलट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़, जिला रीवा हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुबिभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 434-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी

के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्कम का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, रीवा अलट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़, जिला रीवा का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रक्कम) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) नगर/ग्राम—बरसैता देश 417-111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —12.816 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रक्कम (हे. मे.)	विवरण (3)
(1)	(2)	(3)
1728	0.817	बरसैता देश 417-111
1729	0.032	बरसैता देश 417-111
1763	0.482	बरसैता देश 417-111
1765	0.142	बरसैता देश 417-111
2156	0.028	बरसैता देश 417-111
2157	0.664	बरसैता देश 417-111
1706	0.024	बरसैता देश 417-111
1894/1	0.423	बरसैता देश 417-111
1895/1	0.735	बरसैता देश 417-111
1907	0.583	बरसैता देश 417-111
1890	0.097	बरसैता देश 417-111
1905/1	0.614	बरसैता देश 417-111
1896	0.405	बरसैता देश 417-111
1739	0.057	बरसैता देश 417-111
1740	1.104	बरसैता देश 417-111
1741	0.223	बरसैता देश 417-111
1745	0.393	बरसैता देश 417-111
1746	0.04	बरसैता देश 417-111
1747	0.878	बरसैता देश 417-111
1755	0.02	बरसैता देश 417-111
1756	0.17	बरसैता देश 417-111
1757	0.036	बरसैता देश 417-111
1758	0.745	बरसैता देश 417-111

(1)	(2)	(3)	एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैः—
			अनुसूची
2163	2.116	बरसैता देश 417-111	(1) भूमि का वर्णन—
1909	0.194	बरसैता देश 417-111	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
1910	0.036	बरसैता देश 417-111	(ख) तहसील—गुढ़
1759	0.049	बरसैता देश 417-111	(ग) नगर/ग्राम—इटार पहाड़ 40-117
1892	0.105	बरसैता देश 417-111	(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.942 हेक्टेयर.
1893	0.012	बरसैता देश 417-111	
2081	0.125	बरसैता देश 417-111	
2082	0.012	बरसैता देश 417-111	खसरा नं. अर्जित रकबा विवरण
2084	0.045	बरसैता देश 417-111	(हे. में.)
2086	0.081	बरसैता देश 417-111	(1) (2) (3)
2087	0.036	बरसैता देश 417-111	1441 0.170 इटार पहाड़ 40-117
2088	0.073	बरसैता देश 417-111	1442 0.324 इटार पहाड़ 40-117
2144	0.454	बरसैता देश 417-111	1443 0.036 इटार पहाड़ 40-117
1902/3	0.356	बरसैता देश 417-111	1444 0.384 इटार पहाड़ 40-117
1904/2	0.036	बरसैता देश 417-111	1511 0.028 इटार पहाड़ 40-117
2106/3	0.053	बरसैता देश 417-111	योग . . <u>0.942</u>
2050/1	0.045	बरसैता देश 417-111	
1939/2	0.045	बरसैता देश 417-111	
2137	0.008	बरसैता देश 417-111	
1968	0.107	बरसैता देश 417-111	
1969	0.017	बरसैता देश 417-111	
1970	0.099	बरसैता देश 417-111	
		योग . . <u>12.816</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 435-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—गुढ़

(ग) नगर/ग्राम—रामनगर पहाड़ 551-112
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —23.392 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	विवरण (3)
(1)	(2)	(3)
233	0.255	रामनगर पहाड़ 551-112
327	5.746	रामनगर पहाड़ 551-112
328	0.283	रामनगर पहाड़ 551-112
544/2	2.996	रामनगर पहाड़ 551-112
544/1	0.500	रामनगर पहाड़ 551-112
329/1	0.674	रामनगर पहाड़ 551-112
540/1	1.600	रामनगर पहाड़ 551-112
329/2	4.400	रामनगर पहाड़ 551-112
540/2	5.150	रामनगर पहाड़ 551-112
296	0.273	रामनगर पहाड़ 551-112
363/10	0.118	रामनगर पहाड़ 551-112
58	0.129	रामनगर पहाड़ 551-112
105	1.088	रामनगर पहाड़ 551-112
251/1	0.180	रामनगर पहाड़ 551-112
योग . .	<u>23.392</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा अल्ट्रा मेंगा सोलर परियोजना गुड़ जिला रीवा हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुड़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 437-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्के का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेंगा सोलर परियोजना गुड़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—गुड़

(ग) नगर/ग्राम—बरसैता पहाड़ 418-114
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.024 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	विवरण (3)
(1)	(2)	(3)
55	0.024	बरसैता पहाड़ 418-114 योग . . <u>0.024</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रीवा अल्ट्रा मेंगा सोलर परियोजना गुड़ जिला रीवा हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुड़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 03 अगस्त 2017

क्र. 7642-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चुरका, प.ह.न.-57, ब.न.-90,
 रा.नि.म.-पौनार.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.724
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
291	0.405
261	0.388

(1)	(2)	(1)	(2)
315/2	0.010	278/4	0.021
267/1	0.652	279/3	0.126
274/2	0.101	283/4	0.476
275	0.494	248/2	0.090
277	0.121	296	0.105
316/1	0.012	338	0.070
292/3	0.300	298	0.022
266	0.506	327/1	0.048
315/1	0.010	327/3	0.045
293	01.000	325	0.020
263	0.404	326	0.040
265	0.688	314	0.030
165/1	0.135	310/2	0.008
268	0.510	215	0.022
328/1	0.078	216/2	0.080
270	0.263	174/7	0.122
271	0.648	212	0.008
276	0.081	213	0.010
281	0.065	167	0.080
288	0.040	172	0.012
289	01.477	267/2	0.303
318	0.015	316/2	0.012
336	0.105	165/3	0.015
273/2	0.198	315/3	0.008
287	0.109	162	0.075
280	0.121	180	0.028
282	0.607	159/2	0.057
284	01.011	354/1	0.136
252/2	0.347	173/1	0.010
278/3	0.025	361/2	0.045
279/1	0.125	353/3	0.060
283/3	0.476	311/1	0.014
252/3	0.347	361/1	0.075
278/1	0.050	181	0.020
279/2	0.126	339	0.180
283/2	0.515	177	0.015
252/4	0.347	285/3	0.437
278/2	0.025	341	0.060
279/4	0.125	285/1	0.439
283/1	0.180	285/2	0.439
327/2	0.091	330	0.547
248/1	0.315	260/2	0.040

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बंधानी, प.ह.न.-56, ब.न.-188, रा.नि.मं.—पौनार.
292/5	0.600	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-18.669 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।
311/2	0.013	
311/3	0.013	
योग . .	<u>18.724</u>	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।
		प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 241/4 241/6 232/3 234/3 252/3 232/4 234/4 252/4 233 247 236/2 236/1 236/3 236/4 236/5 237 239 240 241/1 241/2 241/3 241/5 232/1 234/1 252/1 230 232/2 234/2 252/2 232/5 234/5 252/5
(2)		प्रस्तावित रकमा (हे. में) (2) 0.300 0.713 0.026 0.380 0.268 0.026 0.380 0.268 0.134 02.140 01.416 0.516 0.809 0.607 0.607 02.922 0.375 0.501 0.802 0.050 0.809 0.170 0.026 0.380 0.268 02.428 0.026 0.380 0.268 0.026 0.380 0.268
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
क्र. 7643-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
		योग . . <u>18.669</u>
		हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—अमरवाड़ा

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevneue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—कुण्डम
- (ग) ग्राम—करनपुरा (प.ह.नं. 0037)
- (घ) रा.नि.मं.—इमलई
- (ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 5.860 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
538	0.050
541	0.240
542/613	0.230
542/614	0.230
542/615	0.230
543	0.100
586	0.350
587	0.370
557	0.340
584	0.590
556	0.400
559	0.450
562	0.200
561/1	0.620
561/2	0.250
563	0.460
566	0.260
567	0.270
552	0.220
कुल रकमा ..	
	5.860

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevneue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—कुण्डम
- (ग) ग्राम—घोड़ाटाकन (प.ह.नं. 0040)
- (घ) रा.नि.मं.—कुण्डम
- (ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 4.380 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियाँ.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकमा
खसरा नं.	(हे. में)
(1)	(2)
50	0.520
171/1	0.330
172	0.790
174	2.740
कुल रकमा . .	4.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाधान स्क्रीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्र. 2129-भू.-अर्जन-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वृत्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—गादिया

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.470	-	0.470
		योग . .		0.470
2	शासकीय भूमि	-	-	-
		महायोग . .	0.470	0.470

अनुसूची (2)

स. क्र.	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि
(1)	(2)	(3)
1	178	0.110
2	209/2	0.070

(1)	(2)	(3)
3	210/1	0.090
4	211/1	0.040
5	194	0.070
6	183	0.070
7	346/1	0.020
		कुल . . .
		<u>0.470</u>

प्र. क्र. 2135-भू.-अर्जन-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—डेहरिया

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.0792	—	0.0792
	योग . . .			<u>0.0792</u>
2	शासकीय भूमि	—	—	—
	योग . . .			
	महायोग . . .	<u>0.0792</u>		

अनुसूची (2)

स. क्र.	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि
(1)	(2)	(3)
1	111/2	0.0792
		<u>0.0792</u>

क्र. 2141-भू.-अर्जन-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—कोठड़ा

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.233	—	1.233
	योग . . .	0		<u>1.233</u>
2	शासकीय भूमि	—	—	—
	योग . . .			
	महायोग . . .	<u>1.233</u>		

अनुसूची (2)

सं. क्र.	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि
(1)	(2)	(3)
1	302/3	0.200
2	301/3/1	0.060
3	293	0.300
4	290/2	0.130
5	347/1	0.090
6	347/2	0.030
7	353/1	0.050
8	353/2	0.080
9	60/1	0.060
10	60/2	0.088
11	60/3	0.079
12	60/4	0.066
		योग . .
		<u>1.233</u>

क्र. 2147-भू-अर्जन-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—बुरूट

तहसील—कन्नौद

सं. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकमा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.280	—	<u>0.280</u>
		योग . .		<u>0.280</u>
2	शासकीय भूमि	—	—	—
		महायोग	<u>0.280</u>	<u>0.280</u>

अनुसूची (2)

सं. क्र.	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि
(1)	(2)	(3)
1	13/1	0.060
2	13/2	0.060
3	18/1	0.100
4	20	0.060
		योग . .
		<u>0.280</u>

क्र. 2153-भू-अर्जन-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—खारपा

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.850	-	0.850
	योग . .			<u>0.850</u>
2	शासकीय भूमि	योग . . -	-	-
	महायोग . .	<u>0.850</u>		<u>0.850</u>

अनुसूची (2)

स. क्र.	खसरा क्र.	अर्जित की जाने वाली भूमि
(1)	(2)	(3)
1	5	0.170
2	9	0.190
3	10	0.250
4	174	0.020
5	173	0.040
6	304/3	0.090
7	304/4	0.090
	योग . .	<u>0.850</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. 932-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, महोदय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्थान (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्थान (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्थान (4) में अंकित स्थान पर एवं स्थान (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	ग्वालियर	जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी के स्थान पर.

Jabalpur, the 31st July 2017

No. 979-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Workshop on—Key issues and challenges under N.D.P.S. Act, 1985 for the Special Judges dealing cases under the Act on 18th August 2017 & 19th August 2017 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 01 अगस्त 2017

क्र. B-4138-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5696-दो-2-14-2013.—श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई

2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.के.दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.के.दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5698-दो-2-41-2014.—श्री श्यामकांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्यामकांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकांत कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4145-दो-3-420-80 भाग-सोलह.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को उनके अवकाश

लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, : 08-11-1985
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का
नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2016
3. नियुक्ति दिनांक 08-11-1985 से : 01 वर्ष 04 माह
दिनांक 09-03-1987 तक 01 दिन.
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 09 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).

7. कुल अर्जित अवकाश : 240 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : निरंक
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 240 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-4149-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. 926-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	कुमारी साधना महेश्वरी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्र. 928-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर.	ग्वालियर	झाबुआ	झाबुआ	सिविल जिला, झाबुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर।
2	श्री श्याम कांत कुलकर्णी	झाबुआ	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिविल जिला, होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर।
3	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	मुरैना	इंदौर	इंदौर	सिविल जिला इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर।
4	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम	इंदौर	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला बैतूल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राम नारायण चौधरी के स्थान पर।
5	श्री राम नारायण चौधरी	बैतूल	श्योपुर	श्योपुर	सिविल जिला, श्योपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आलोक कुमार वर्मा के दिनांक 31-07-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
6	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	रीवा	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर।

क्र. 929-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 1999, क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता हैः—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री यशवंत सिंह परमार	धार	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे के स्थान पर.	रीवा

क्र. 930-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता हैः—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी	श्योपुर	जबलपुर	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री सुधीर कुमार	श्योपुर	इंदौर	इंदौर	तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	नीमच	नीमच	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
4	श्री विक्रम सिंह बुले	खण्डवा	नागदा	उज्जैन	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	सिवनी	शहडोल	शहडोल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर).	सिवनी	जबलपुर	जबलपुर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिव बालक साहू के स्थान पर.
7	श्री शिव बालक साहू	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर.
8	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	शाजापुर	इंदौर	इंदौर	नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	शहडोल	भानपुरा	मंदसौर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा	सबलगढ़	इंदौर	इंदौर	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

- टिप्पणी:—(1) श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.
 (2) श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.
 (3) श्री शिव बालक साहू, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
 (4) श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर, का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2017

क्र. 942-गोपनीय-2017-चार-12-31-72-(भाग-चार-ए).—श्री सुशांत हुद्दार, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “नागपुर (महाराष्ट्र)” के स्थान पर “बैतूल (मध्यप्रदेश)” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे।

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2017

क्र. 961-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजय कुमार सिंह, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2017

क्र. 983-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री आदेश कुमार मालवीय, पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सतना.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनबर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. सी-3109-तीन-10-42-75.—उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरोठ, जिला मंदसौर जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिए भानपुरा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, गरोठ में ही बैठक करेंगे। गरोठ-भानपुरा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. C-3109-III-10-42-75.—The High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Additional District and Sessions Judge, Garoth, District Mandsaur, who has been directed to hold sitting at Bhanpura in addition to his place of posting for a period of 10 days in a month, will now hold sitting at his place of posting, Garoth only. The Sitting of Garoth-Bhanpura Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सरसेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।